अध्याय - पंचम

अध्याय - पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1	प्रस्तावना
5.2	समस्या कथन
5.3	अध्ययन के उद्देश्य
5.4	परिकल्पनाएँ
5.5	शोध के चर
5.6	शोध समस्या की सीमाएँ
5.7	न्यादर्श
5.8	शोध में प्रयुक्त उपकरण
5.9	शोध के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी
5.10	समस्या के मुख्य परिणाम
5.11	निष्कर्ष
5.12	शैक्षिक सुझाव
5.13	भावी शोध हेतु सुझाव
	संदर्भ ग्रंथ सूची
	परिशिष्ट
	अ. विद्यालय तथा अध्यापकों एवं पालकों की संख्या का विवरण
	ब. R.T.E जागरूकता परीक्षण
	क. R.T.E. दृष्टिकोण परीक्षण

अध्याय - पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना :-

"मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशली विकास ही शिक्षा है।"

-पेस्टालॉजी

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला कौशल में योग्य नागरिक बनाया जाता है और यह कार्य मनुष्य के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। विद्यालय में उसकी शिक्षा बड़े सुनियोजित ढंग से चलती है। विद्यालय के साथ-साथ उसे परिवार एवं समुदाय में भी कुछ न कुछ सिखाया जाता रहता है। सीखने-सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है।

शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्राचीन काल से ही इसी कारण शिक्षक को आदरपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है। शिक्षक शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे तब ही विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आ सकती है।

इसलिए प्रस्तुत अध्ययन शिक्षा के अधिकार के प्रति शिक्षक, पालक एवं विद्यार्थियों की जागरूकता तथा उनके दृष्टिकोण का अध्ययन है।

5.2 समस्या कथन :-

"शिक्षा के अधिकार के प्रति शिक्षक, पालक एवं विद्यार्थीं की जागरूकता तथा उनके दृष्टिकोण का अध्ययन"

5.3 अध्ययन के उद्देश्य :-

1. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

3. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अंतर ज्ञात करना।
4. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण का अंतर ज्ञात करना।
5. अध्यापक तथा अध्यापिकाओ में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अंतर ज्ञात करना।
6. अध्यापक तथा अध्यापिकाओ में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण का अंतर ज्ञात करना।
7. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अंतर ज्ञात करना।
8. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण का अंतर ज्ञात करना।
9. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अंतर ज्ञात करना।
10. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण का अंतर ज्ञात करना।
11. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अंतर ज्ञात करना।
12. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण का अंतर ज्ञात करना।

5.4 परिकल्पनाएँ :–

1. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों की में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
10. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5.5 शोध के चर :-

शोध समस्या में निम्न चर है :-

स्वतंत्र चर -

लिंग - अध्यापक / अध्यापिका

क्षेत्र - ग्रामीण / शहरी

- शासकीय / अशासकीय

आश्रित चर -

शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता, दृष्टिकोण

5.6 शोध समस्या की सीमाएँ :-

1. प्रस्तुत अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के वरूड तहसील के प्राथमिक विद्यालयों तक सीमित है।
2. इस अध्ययन में शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को ही शामिल किया गया है।
3. इस अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों के 100 अध्यापकों तथा पालकों का चयन किया है। जिनमें 50 अध्यापाक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 50 अध्यापक शहरी क्षेत्र से है। और 50 पालक ग्रामीण तथा 50 पालक शहरी क्षेत्र के है।

4. इस अध्ययन में अध्यापक एवं अध्यापिका दोनों का ही चयन किया है।

5.7 न्यादर्श :-

प्रस्तुत अध्ययन में महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के वरूड तहसील के 10 ग्रामीण व 10 शहरी विद्यालयों को शामिल किया है। जिनमें 5 शासकीय और 5 अशासकीय विद्यालय शामिल है। न्यादर्श यादृच्छिक विधि से चयनित किया है।

इस शोध के अंतर्गत 20 विद्यालयों से कुल 100 अध्यापकों तथा पालकों का समावेश किया है। जिसमें 50 अध्यापक तथा पालक ग्रामीण क्षेत्र से तथा 50 अध्यापक तथा पालक ग्रामीण क्षेत्र से है।

5.8 शोध के प्रयुक्त उपकरण :-

1. शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता जानने के लिए स्वनिर्मित R.T.E. जागरूकता परीक्षण प्रश्नावली का निर्माण किया गया।
2. शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण जानने के लिए स्वनिर्मित R.T.E. दृष्टिकोण परीक्षण प्रश्नावली का निर्माण किया गया।

5.8 प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकीय :-

प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु आवृत्ति प्रतिशत, मध्यमान, प्रमाण विचलन एवं 'टी' परीक्षण का उपयोग किया गया।

शिक्षक, पालक जागरूकता तथा दृष्टिकोण परीक्षण के विश्लेषण हेतु शोधकर्त्ता द्वारा वर्णित प्रत्येक प्रश्नों के अलग-अलग आये उत्तर की आवृत्ति का योग निकाला गया। इन योगों का प्रतिशत निकाला गया। प्रतिशत निकालने के पश्चात विभिनन श्रेणियों में आये आँकड़ों को दिखाने के लिए तालिका का निर्माण किया गया।

5.9 अध्ययन के मुख्य परिणाम :-

1. प्राथमिक विद्यालयों के 60% अध्यापक शिक्षा के अधिकार के प्रति अधिक जागरूक है तथा 40% अध्यापकों की जागरूता औसतन है।
2. प्राथमिक विद्यालयों के 60% अध्यापक शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छा है तथा 40% अध्यापकों का दृष्टिकोण औसतन है।
3. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

4. ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
6. अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
7. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
8. शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
9. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर है।
10. अध्यापकों तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
11. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
12. ग्रामीण एवं शहरी पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

5.11 **निष्कर्ष :-**

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा की अधिकार के प्रति जागरूकता तथा दृष्टिकोण परीक्षण लेने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि 60% अध्यापक R.T.E. के प्रति जागरूक है' 40% अध्यापकों की जागरूकता तथा दृष्टिकोण औसतन है।

अध्यापक तथा अध्यापिकाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया।

अध्यापक तथा पालकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता परीक्षण द्वारा सार्थक अंतर पाया गया। पालकों की अपेक्षा अध्यापकों की R.T.E. जागरूकता अधिक पायी गयी।

ग्रामीण एवं शहरी अध्यापकों तथा पालकों में शिखा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा उनके दृष्टिकोण में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया।

शासकीय तथा अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नही पाया गया।

अततः हम इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाल सकते है की अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता और बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.10 शैक्षिक सुझाव :-

1. शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषयों के साथ शिक्षा के अधिकार का भाग भी शामिल किया जाए, जिससे अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता विकसित हो जाएंगी।
2. संस्थान में शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम तथा परिचर्चाओं का आपोजन किया जाना चाहिए जिससे अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार प्रति सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सके।
3. शिक्षा के क्षेत्र में हुए नये संशोधन से अध्यापको को सदैव अवगत कराना चाहिए।
4. सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के बारे में आम जनता तक यह अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार करना चाहिए जिससे पालकों की जागरूकता बढ़ सके।
5. विद्यालयों में तज्ञ व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन कराना चाहिए जिससे विद्यार्थी और अध्यापकों की जागरूकता बढे और उनका दृष्टिकोण शिक्षा के अधिकार के प्रति सकारात्मक बन सके।
6. शिक्षा के अधिकार का अधिनियम के बारे में सेमीनार आयोजित कराने चाहिए।

5.11 भावी शोध हेतु सुझाव :-

1. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा दृष्टिकोण का अध्ययन।

2. प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा दृष्टिकोण का अध्ययन।
3. आदिवासी क्षेत्र के अध्यापकों का शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता तथा उनके दृष्टिकोण का अध्ययन।
4. आदिवासी तथा गैर आदिवासी अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूकता का अध्ययन।
5. शिक्षा के अधिकार के प्रति ग्रामीण शिक्षक और पालक की जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।
6. शिक्षा के अधिकार के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलना त्मक अध्ययन।
7. शिक्षा के अधिकार प्रति शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों की जागरूकता का अध्ययन।